अतारांकित प्रश्न संख्या 1148 के उत्तर में स्थगन आदेश जारी किया जाना स्वीकार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो एक ही मंत्रालय द्वारा दो प्रश्नों के परस्पर विरोधी उत्तर दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) स्टेट बैंक आफ इंदौर के कर्मचारियों के मामले में गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को स्थगन आदेश जारी करने या यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है । सहायक श्रम आयुक्त (के०) द्वारा दिनांक 4-6-1988 को जारी पत्र सलाह देने के उद्देश्य से जारी किया गया था । अतः दिनांक 2-8-1991 के राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं० 1803 का दिया गया उत्तर तथ्यतः सही था और यह दिनांक 6-5-1988 के राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं० 1148 के दिये गये उत्तर के अनुरूप था ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Pension Scheme for Employees

2460. SHRI DEBABRATA BISWAS : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have since finalised the pension scheme for the employees; and

(b) if so, what are the details of the steps taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) No, Sir.

(b) A BUI to amend the EPF & MP Act, 1952 for empowering the Central Govt, to frame a Pension Scheme has been introduced in Rajya Sabha on 29-3-1993.

Financial Assistance to Labour Institutes in Maharashtra

2461. SHRI ADIK GOVINDRAO WAM ANRAO : Will the Minister of LABOUR
be pleased to state:

(a) the total amount of financial assistance given by Government to the various labour institutes and centres in Maharashtra during die last three years alongwith their names;

(b) whether any review of such grants has been made;

(c) whether Government propose to alter the aid formula; and

(d) whether the institutes are likely to suffer because of this?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) The grant-in-aid is provided the Labour Institutes and centres which are under the administrative control of the Central Government. In so far as Maharashtra is concerned, the grant-in-aid is issued to Central Workers Education (CBWE) with Headquarters at Nagpur in Maharashtra and Centres spread all over the country. The grants-in-aid released to CBWE during the last three years are given below:—

1990—91	Rs. 5,70,00.000
1991-92	Rs. 6.19,11,590
1992—93	Rs. 6,79,13,800

(b) to (d) The functioning of CBWE is reviewed periodically. A report on the functioning of the organisation, alongwith the annual report is also laid on the Table of both Houses of Parliament annually. A present there is no proposal to alter the formula for release of grant-in-aid.

कृषि मजदूरों का शोषण

2462. श्री अजीत जोगी :
चौधरी हरि सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-संगठित मजदूरों, विशेष रूप से कृषि मजदूरों का शोषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रम संगठनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं;

(घ) "न्यूनतम मजदूरी" और बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने सम्बन्धी अधिनियमों का कार्यान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) प्रत्येक राज्य में न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों से न्यूनतम मजदूरी अदा न करने के सम्बन्ध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?